न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मन मोहन मीना , आर ए एस**
प्रार्थना पत्र संख्या :– **08/2019 पुनः दर्ज 11/2019**

उनवान

बंशीधर पुत्र हेमाराम जाति अहीर निवासी ढाणी नीमडावाली ग्राम अमरपुरा तहसील शाहपुरा

बनाम

1 शारदा देवी पत्नि लालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी खातेडी मौहल्ला शाहपुरा (दौराने विचरण फौत)

1/1 लालचन्द
1/2 विजय
1/3 कमल
1/4 प्रहलाद
} पि0 लालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी खातेडी मौहल्ला शाहपुरा

2 सुमित्रा देवी पुत्री लालचन्द पत्नी श्री अशोककुमार निवासी चला तहसील नीमकाथाना सीकर

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 8/7/2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 254 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम अमरपुरा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसमे प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा ख0नं0 248 रकबा 0.11 है0 बाके ग्राम अमरपुरा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसके अप्रार्थीगण की माताजी खातेदार काश्तकार है जो कि फौत हो चुकी है। प्रार्थी की भूमि 254 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम अमरपुरा तहसील शाहपुरा में जाने आने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 0.11 है0 में से रास्ता हेतु आवेदन किया गया । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ।

अप्रार्थीगण की ओर से राकेश मोहन शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि प्रार्थीया द्वारा आराजी खसरा नम्बर 254 में पहुँच मार्ग हेतु आराजी ख0नं0 248 पश्चिम साईड में शाहपुरा अजीतगढ से उत्तर दक्षिण रास्ता जिसकी लम्बाई 40 मीटर चौडाई 6 मीटर कुल 240 वर्गमीटर भूमि व दूसरा विकल्प 248/1 रकबा 0.14 है0 जिसकी लम्बाई 42 मीटर व चौडाई 6 मीटर कुल 252 वर्गमीटर भूमि बनती है,इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र तथा आपत्ति मौका रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया गया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट बंशीधर डीडराइटर से मिलीभगत करके पेश की गई है तथा मौका रिपोर्ट जो मौके पर तैयार की गई थी वह पेश नहीं की गई है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जो रिपोर्ट में ख0नं0 248 में से रास्ता प्रस्तावित किया है वह मौका स्थिति के बिल्कुल विपरीत है जबकि वास्तविकता यह है कि ख0नं0 248 के पश्चिम दिशा में ख0नं0 247/3 रकबा 0.03 है0 भूमि भी अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसकी खातेदारी भी अप्रार्थीगण के माता के नाम दर्ज है । ख0नं0 247/3 व 248 के उत्तर की तरफ 3–4 फीट ऊंची एवं बाकी दिशाओं में लगभग 8 फीट ऊंची बाउण्ड्री वाल का निर्माण काफी समय पूर्व से करवा रखा है मौके पर ख0नं0 248 व 247/3 दोनो तरफ पुख्ता बाउण्ड्रीवाल लगी सीमाओं के अन्दर मौजूद है जब तक कि बारीकी से एवं तकनीकी रूप से नाप नहीं किया जाये तब तक दोनों नम्बरों की पृथक पृथक सीमायें वर्तमान मौका स्थिती अनुसार निर्धारित किया जाना संभव नहीं है । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी बंशीधर की खातेदारी में ख0नं0 254 के अलावा ख0नं0 241, 242, 245, 253, व 270 दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थी बंशीधर व उसके अन्य परिवारजनों कुटुम्बी भाई बन्धुओं के मकानात ख0नं0 314 जिसमें की ढाणी बसी हुई है में बनु हुये है ख0नं0 292 से रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ बना हुआ होकर मौके पर मौजूद है प्रार्थी बंशीधर के मकानों से ख0नं0 270 बिल्कुल नजदीक स्थित है प्रार्थी जिस रास्ते से ख0नं0 270 में आवागमन करता है उस रास्ते को चाहने हेतु प्रार्थी बंशीधर ने कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास ख0नं0 270 में पहुँचने का मार्ग मौजूद है अब जब प्रार्थी ख0नं0 270 में पहुँच जाता है तो उसके लगते हुये उत्तर दिशा की ओर उसकी स्वंय की भूमि ख0नं0 241, 242 व 245 मौजूद है तथा ख0नं0 254 व 245 के बीच में ख0नं0 246/1 व 246/2 या ख0नं0 245 के पूर्व की तरफ स्थित ख0नं0 255 के पश्चिमी कोने से जिसकी नाम बहुत कम रास्ते हेतु आयेगी दिया जा सकना जाहिर किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी ने जानबूझकर बदनियति से 248/21 में रास्ता नहीं चाहकर अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा है जो रामनारायण पुत्र सुरजा व रामप्रकाश पुत्र सुरजा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी के परिवारजन ही होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ील प्रार्थी ने आपत्ति का लिखित बहस पेगश कर जाहिर किया कि रास्ते निकटतम मार्ग से धारा 251 का उद्देश्य ऐसी जोतो को रास्ता उपलब्ध करवाना है जिसमें रास्ते का अभाव हो एवं संक्षिप्त प्रकिया ऐसे मामले निपटाये जावे । रिपोर्ट के आक्षेप को नकारते हुए जाहिर किया कि रिपोर्ट भू अभिलेख रीक्षक द्वारा तहसीलदार के निर्देशन में तैया की जा सकती है तथा अप्रार्थी द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं ये थे । प्रस्तावित रास्ता निकटतम रूट है अन्य निकटतम कोई मार्ग नहीं है। ख0नं0 248 की सीमा से हा गया उसमें कोई निर्माण नहीं है। आपत्ति में ख0नं0 314 में ढाणी बनी होना अंकित किया है लेकिन 0नं0 314 काफी दूर होने से रास्ता दिया जाना किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं होना जाहिर करते प्रार्थी द्वारा मात्र कपोल कल्पित तथ्य अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है तहसीलदार ाहपुरा द्वारा ख0नं0 248 से प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम मार्ग होना जाहिर किया है। अन्त में निवेदन किया के अप्रार्थीगण मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने के आशय से आपत्ति पेश की गई है जो खरिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस की ओर तथा अपने प्रार्थना त्र में अंकित रास्ते हेतु प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थीगण ने खण्डन करते हुए अपने जवाब प्रार्थना व आपत्ति मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेज व जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट तथा लिखित बहस आदि का ध्यानपूर्वक मनने करने पर पाया गया कि प्रार्थी की राजी खसरा नम्बर 254 में पहुँच मार्ग हेतु ख0नं0 248 में से रास्ते हेतु आवेदन किया है उसमें मौके पर ण्ड्रीवॉल बनी हुई होना जाहिर है तथा प्रार्थी अपना निवास ख0नं0 314 में वर्तमान में कर रहा है तथा पने निवास से ख0नं0 ख0नं0 270 में पहुँचने का मार्ग मौजूद है, जब प्रार्थी ख0नं0 270 में पहुँच जाता है, तो उसके लगते हुये उत्तर दिशा की ओर उसकी स्वंय की भूमि ख0नं0 241, 242 व 245 मौजूद है तथा ख0नं0 254 व 245 के बीच में ख0नं0 246/1 व 246/2 या ख0नं0 245 के पूर्व की तरफ स्थित ख0नं0 55 के पश्चिमी कोने से जिसकी नाम बहुत कम रास्ते हेतु आयेगी साथ ही राजस्व रिकार्ड के अवलोकन भी यही जाहिर होता है कि ख0नं0 246 प्रार्थी के कुटुम्ब परिवार के व्यक्तियों के ही नाम दर्ज है लेकिन र्थी ने ख0नं0 255 से 246 से रास्ते हेतु आवेदन नहीं किया जो भी एक विचारणीय बिन्दु है, तथा यह ाहिर है कि प्रार्थी केवल अप्रार्थी की भूमि से ही रास्ते हेतु आवेदन किया है जबकि अप्रार्थी ने अपनी भूमि पुख्ता बाउण्ड्रीवाल लगा रखा है जिसमें से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी के द्वारा अपने निवास अपनी भूमि ख0नं0 245 में पहुँच पर ख0नं0 254 में के लगता ख0नं0 246 से आसानी से आ जा सकता लेकिन प्रार्थी के द्वारा ख0नं0 246 से रास्ता हेतु निवेदन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा रास्ता हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से अस्वीकार किया जाता हैं ।

निर्णय आज दिनांक 8/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान